राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2686/2024

1. राजेश कटारा
2. दिनेश चंद गुप्ता
3. चिरंजी लाल शर्मा
4. नरेन्द्र कुमार शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव (वित्त), वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान सरकार, ज्योति नगर, लालकोठी, जयपुर।
3. शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, मुख्य भवन, सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, घूघरा घाटी, जयपुर रोड, अजमेर।
5. राजेन्द्र प्रसाद कल्याण
6. विश्राम मीणा

प्रार्थना पत्र सीपीसी आदेश 1 नियम 10 के अन्तर्गत संयोजित प्रत्यर्थीगण

7. नीरज कुमार मीणा
8. श्रीमती रेखा डामोर
9. किशन सहाय मीणा
10. हमीराराम मेघवाल
11. सरिता दयाल
12. रजनीकांत मीणा
13. सुशील कुमार रोहिल

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 22.08.2025

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री शोभित तिवाडी, अभिभाषक
निजी प्रत्यर्थी सं. 7 से 13की ओर से : श्री अशोक बंसल, श्री सुरेन्द्र सिंह एवं श्री धीरज गुप्ता, अधिवक्तागण
प्रत्यर्थी विभाग 1 से 3 की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवडा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थी विभाग द्वारा रिक्ति वर्ष 2024–25 के लिए वरिष्ठ लेखा अधिकारी/लेखा अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान) के पद पर नियम 28–ए एवं दिनांक 11.09.2011 की अधिसूचना के उल्लंघन में पदोन्नति प्रक्रिया करने के संबंध में दायर की गई है (अनुलग्नक–1)। इसके अलावा प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही नहीं करने के बाबत भी यह अपील प्रस्तुत की है (अनुलग्नक–2)। साथ ही अपीलार्थीगण द्वारा कार्मिक विभाग की

राय संख्या F21(2)DOP/A–2/2023(305)/10908 को भी चुनौती दी गई है एवं कथन किया है कि इसके तहत अवैध और मनमाने तरीके से वरिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नति के उद्देश्य से अनारक्षित रोस्टर बिंदुओं पर आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों पर विचार करने की राय दी गई थी। डीओपी की राय की प्रति अनुलग्नक–3 के रूप में संलग्न है।

अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थीगण की नियुक्ति कनिष्ठ लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती परीक्षा, 1986 में चयन की उचित प्रक्रिया के बाद हुई थी। अपीलार्थीगण ने अनारक्षित रोस्टर बिन्दुओं पर अपनी नियुक्ति हासिल की। निजी प्रत्यर्थी सं. 5 श्री राजेंद्र प्रसाद कल्याण ने 25.02.1991 को एससी रोस्टर प्वाइंट के विरूद्ध जूनियर अकाउंटेंट सीधी भर्ती परीक्षा, 1989 के जरिए प्रत्यर्थी विभाग में जूनियर अकाउंटेंट के पद पर अपनी प्रारंभिक नियुक्ति हासिल की। इसी तरह, निजी प्रत्यर्थी सं. 6 ने भी 07.01.1991 के आदेश के द्वारा एसटी रोस्टर प्वाइंट के विरूद्ध बैकलॉग भर्ती के माध्यम से जूनियर अकाउंटेंट के पद पर अपनी नियुक्ति हासिल की। दोनों के नियुक्ति आदेश दिनांक 25.02.1991 एवं 07.01.1991 अनुलग्नक–4 पर है। इस प्रकार सेवा में भर्ती होने के समय, निजी प्रत्यर्थी अपीलार्थीगण से बहुत कनिष्ठ थे। अपीलार्थीगण ने राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, 1963 के अनुसार पात्र होते हुए रिक्ति वर्ष 2008–09 के विरुद्ध लेखाकार के पद पर पदोन्नति हुई। इसके बाद अपीलार्थीगण और निजी प्रत्यर्थीगण की 2014–15 की रिक्तियों के विरुद्ध सहायक लेखा अधिकारी (ग्रेड–I) के पद पर पदोन्नति हुई। दिनांक 13.04.2015 को जारी दिनांक 01.04.2015 के संदर्भ में सहायक लेखा अधिकारी ग्रेड–I पद की वरिष्ठता सूची (अनुलग्नक–5) में अपीलार्थीगण और निजी प्रत्यर्थीगण की स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

S.No	Appellants	Initial Appointment Merit/Batch	Seniority No.	AAO 1 Promotion Year	Category
1.	Rajesh Katara	121/86	1161	2014-15	GEN
2.	Dinesh Chand Gupta	115/86	1155	2014-15	GEN
3.	Chiranji Lal Sharma	57/86	1128-1129	2014-15	GEN
4.	Narendra Kumar Sharma	168/86	1191	2014-15	GEN
Private Respondents					
S.No	Appellants	Initial Appointment Merit/Batch	Seniority No.	AAO 1 Promotion Year	Category
5.	Rajendra Prasad Kalyan	16/89	1274	2014-15	SC
6.	Vishram Meena	264/89	1450	2014-15	ST

इसके पश्चात निजी प्रत्यर्थीगण को आदेश दिनांक 20.11.2019 (अनुलग्नक–6) के द्वारा वर्ष 2019–20 की रिक्तियों (गलत तरीके से उल्लिखित वर्ष 2018–19) के विरुद्ध लेखा अधिकारी/लेखा अधिकारी (जूनियर स्केल) के पद पर आरक्षित वर्ग के लिए रोस्टर पाईंट्स के अनुसार पदोन्नति दी गई (अनुलग्नक–6)। तत्पश्चात अपीलार्थीगण को आदेश दिनांक 09.10.2020 (अनुलग्नक–7) को रिक्ति वर्ष 2020–21 के विरूद्ध लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति दी गई। राजस्थान सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अंतर्गत अधिसूचना दिनांक 15.05.2023

(अनुलग्नक–8) द्वारा सेवा नियमों में संशोधन किया है, जो 122 सेवाओं पर लागू होगा। उक्त संशोधन द्वारा रिक्ति वर्ष 2023–24 के लिए पदोन्नति के प्रयोजनार्थ अनुभव में 2 वर्ष तक की छूट प्रदान की गई है। उपर्युक्त छूट के दृष्टिगत प्रत्यर्थी विभाग ने रिक्ति वर्ष 2023–24 के लिए वरिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु डीपीसी की कार्यवाही की। दिनांक 30.09.2023 के डीपीसी कार्यवृत्त के अनुसार कुल रिक्तियाँ 118 थीं, जिनमें से 6 अनुसूचित जाति के लिए और 18 अनुसूचित जनजाति के लिए चिह्नित थीं। इसके अलावा उपर्युक्त डीपीसी कार्यवृत्त के बिंदु संख्या 11 और 12 के अवलोकन से पता चलता है कि प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 11.09.2011 की अधिसूचना का सरासर उल्लंघन करते हुए, दिनांक 13.09.2013 के एक परिपत्र (जो एक अंतर–विभागीय संवाद है) के आधार पर अनारक्षित वर्ग के लिए निर्धारित रिक्तियों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के 17 पदाधिकारियों को पदोन्नत किया। सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त दिनांक 30.09.2023 के डीपीसी कार्यवृत्त की एक प्रति अनुलग्नक–9 के रूप में संलग्न है। तत्पश्चात, प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 05.10.2023 को रिक्ति वर्ष 2023–24 के लिए वरिष्ठ लेखा अधिकारी के पद हेतु पदोन्नति आदेश जारी किया (अनुलग्नक–10)। उक्त आदेश में अनारक्षित रोस्टर बिन्दुओं के विरूद्ध पदोन्नत आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रम संख्या 9 से 16 और 30 से 38 पर रखा गया है। इस प्रकार आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सेवाओं में प्रारंभिक रूप से शामिल करने तथा आरक्षण के लाभ के कारण बाद में पदोन्नति के बावजूद, प्रत्यर्थी विभाग ने मनमाने तरीके से अनारक्षित रोस्टर अंकों के आधार पर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को पदोन्नत किया, जिसमें वैधानिक स्थिति और विभिन्न न्यायिक निर्णयों का कोई सम्मान नहीं किया गया।

प्रत्यर्थी विभाग ने एक आरटीआई आवेदन दिनांक 17.07.2023 के उत्तर में यह प्रस्तुत किया है कि विभाग ने एक डीओपी राय संख्या F21(2)DOP/A–2/2023(305)/10908 का उपयोग किया है और वरिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर अनारक्षित रोस्टर बिंदुओं पर आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को पदोन्नत किया है। उक्त राय में विशेष रूप से यह प्रस्तुत किया गया है कि परिणामी वरिष्ठता वाले आरक्षित श्रेणी के कर्मियों की पदोन्नति अनारक्षित रिक्तियों के विरुद्ध तभी की जायेगी, जब उक्त कर्मी प्रारंभिक नियुक्ति के समय से वरिष्ठ हो। वर्तमान मामले में निजी प्रत्यर्थी अपनी प्रारंभिक नियुक्ति के समय से अपीलार्थीगण से बहुत कनिष्ठ हैं। इसके बावजूद प्रत्यर्थी विभाग ने उपर्युक्त राय के विपरीत जाकर, अनारक्षित रोस्टर बिंदु के विरुद्ध आरक्षित वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों को पदोन्नत किया। इसके अलावा उक्त राय भी गलत है, क्योंकि यह अनारक्षित रोस्टर बिन्दुओं के विरुद्ध आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को पदोन्नति की अनुमति देती है, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आर.के. सब्बरवाल बनाम पंजाब राज्य में पारित निर्णय और अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 के संदर्भ में अनुमत नहीं है। राजस्थान राज्य ने 11.09.2011 को एक अधिसूचना जारी की है,

जिसके द्वारा लगभग 120 सेवाओं में संशोधन किया गया है। राज्य सरकार ने 11.09.2011 की अधिसूचना (अनुलग्नक–11) के द्वारा निम्नलिखित प्रावधान किए हैं:–

a. The Notification will be effective from 1.4.1997.
b. The Reservation in promotion for SC/ST along with consequential seniority shall continue till reservation roster points are exhausted and thereafter replacement theory will apply.
c. That on implementation of this Notification, if SC/ST employees found in excess of adequacy level, will not be reverted and shall continue on the ad-hoc basis.
d. The earlier notification dated 1.4.1997 shall be deemed to have been repealed w.e.f. 1.4.1997.
e. Adequate representation has been defined, which means 16% for Schedule Caste and 12% for Schedule Tribes in accordance with the roster point.
The Notification dated 11.9.2011 is marked and enclosed as Anx. 11

दिनांक 11.09.2011 की अधिसूचना का प्रभाव यह है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित आरक्षण सीमा से अधिक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को किसी भी स्थिति में पदोन्नति की अनुमति नहीं दी जाएगी। अर्थात किसी भी स्थिति में अनारक्षित रोस्टर पद पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारी को पदोन्नत नहीं किया जाएगा। अनारक्षित श्रेणी से संबंधित कुछ कर्मचारियों ने अवैध पदोन्नति आदेश दिनांक 05.10.2023 और उपर्युक्त डीओपी राय से व्यथित होकर माननीय अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 1632/2024 पेश की, जिसमें माननीय अधिकरण ने प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये। उक्त अपील वर्तमान में अधिकरण के समक्ष विचाराधीन है।

प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 01.05.2024 को लेखा अधिकारी (कनिष्ठ वेतनमान) के पद के लिए अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की, जिसमें दिनांक 01.04.2024 की स्थिति दर्शाई गई है (अनुलग्नक–12)। उक्त वरिष्ठता सूची में निजी प्रत्यर्थीगण एवं अपीलार्थीगण के नाम निम्नानुसार हैं:–

S.No	Name	Category	Selction Year	Seniority No.
APPELLANTS				
1.	Rajesh Katara	GEN	2020-21	82
2.	Dinesh Chand Gupta	GEN	2020-21	78
3.	Chiranji Lal Sharma	GEN	2020-21	69
4.	Narendra Kumar Sharma	GEN	2020-21	96
PRIVATE RESPONDENTS				
5.	Rajendra Prasad Kalyan	SC	2019-20	4
6.	Vishram Meena	ST	2019-20	7

उपर्युक्त वरिष्ठता सूची में निजी प्रत्यर्थीगण अपीलार्थीगण से ऊपर है, क्योंकि उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें परिणामी वरिष्ठता प्राप्त हुई है। दिनांक 05.07.2024 को कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार ने एक अधिसूचना के माध्यम से वर्ष 2024–25 के पदोन्नति प्रयोजनार्थ अनुभव में 2 वर्ष की छूट प्रदान की है (अनुलग्नक–13)। उपर्युक्त छूट के संदर्भ में प्रत्यर्थी विभाग रिक्ति वर्ष 2024–25 के लिए वरिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। अपीलार्थीगण ने आरटीआई के माध्यम से विभागीय नोट–शीट की एक प्रति प्राप्त की। विभागीय नोट–शीट के बिन्दु संख्या 7 से पता चलता है कि वर्ष 2024–25

के लिए वरिष्ठ लेखा अधिकारी के पद हेतु कुल रिक्तियां 50 हैं, जिनमें से 38 अनारक्षित वर्ग के लिए, 10 अनुसूचित जाति वर्ग के लिए और 2 अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए हैं। विभागीय नोट–शीट के मात्र अवलोकन से पता चलता है कि प्रतिवादियों ने 50 रिक्तियों के लिए 58 कर्मियों वाले विचारण क्षेत्र (ZOC) को प्राथमिकता दी। राजस्थान लेखा सेवा नियम, 1954 के नियम 28–ए(6) के अनुसार, पदोन्नति के लिए पात्र व्यक्तियों के विचारणीय क्षेत्र, 4 या अधिक रिक्तियों के लिए रिक्तियों की संख्या का तीन गुना होगा। इसका अर्थ यह है कि 50 रिक्तियों के लिए, विचारणीय क्षेत्र में कम से कम 150 कर्मी शामिल होंगे। हालाँकि वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी विभाग ने 1954 के नियमों की अवहेलना करते हुए, मनमाने ढंग से केवल 58 कर्मियों का विचारण क्षेत्र तैयार किया। विभागीय नोट–शीट के बिंदु संख्या 9 के अनुसार, प्रत्यर्थी विभाग 10 अनुसूचित जाति रिक्तियों के विरुद्ध 17 अनुसूचित जाति उम्मीदवारों को पदोन्नति के लिए पात्र मान रहे हैं और इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति की 2 रिक्तियों के विरूद्ध 15 अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों पर विचार कर रहे है। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग अनारक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित रिक्तियों पर अतिरिक्त 20 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के पक्ष में पदोन्नति का विस्तार कर रहे हैं। इसके अलावा उक्त विभागीय नोट–शीट के पैरा 10 और 11 के मात्र अवलोकन से भी अवैधता स्पष्ट होती है, जिससे पता चलता है कि प्रतिवादियों ने अनारक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित रिक्तियों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों के पक्ष में पदोन्नति का लाभ देने के उद्देश्य से दिनांक 13.09.2013 के परिपत्र का उपयोग किया। दिनांक 13.09.2013 के डीओपी की राय/अंतर–विभागीय पत्र में कहा गया है कि यदि सीधी भर्ती के समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों से वरिष्ठ है, तो उसे पदोन्नति से वंचित नहीं किया जाएगा, भले ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित रोस्टर पहले से ही भरे हुए हों। इसमें आगे कहा गया है कि इस प्रकार अनारक्षित पदों पर पदोन्नति को आगे अनुसूचित जाति/जनजाति की रिक्तिया उपलब्ध होने पर समायोजित किया जायेगा। उक्त राय उस उद्देश्य को निष्फल करती है जिसके लिए अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 जारी की गई थी। क्योंकि अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 अनारक्षित रिक्तियों पर आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की पदोन्नति की स्थिति को सुधारने के लिए जारी की गई थी, जिसे दिनांक 13.09.2013 (अनुलग्नक–14) की राय द्वारा रद्द कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप आर.के. सब्बरवाल बनाम पंजाब राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और दिनांक 20.11.1997 के परिपत्र और 2009 के रोस्टर नियमों का अनुपालन नहीं हो रहा है। दिनांक 13.09.2013 की वह राय स्वयं–विपरीत (Self Contrary) है, क्योंकि पैरा 3 में कहा गया है कि, यदि किसी एससी/एसटी श्रेणी के उम्मीदवार को आरक्षण और परिणामी वरिष्ठता का लाभ मिलता है तो उसे अनारक्षित रिक्ति के विरुद्ध पदोन्नत नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसमें आगे यह कहा गया

है कि यदि कनिष्ठ अनारक्षित श्रेणी को पदोन्नत किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उससे वरिष्ठ आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को पदोन्नति दी जाएगी। इसमें आगे कहा गया है कि सीधी भर्ती के समय वरिष्ठता प्रदर्शित करते समय यह देखना बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं है कि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी का चयन आरक्षण के आधार पर हुआ है या योग्यता के आधार पर। यदि किसी अभ्यर्थी को आरंभ में बिना आरक्षण के नियुक्ति मिल गई हो, लेकिन बाद में उसने परिणामी वरिष्ठता और पदोन्नति में आरक्षण का लाभ लिया हो, तो भी सीधी भर्ती के समय उसकी वरिष्ठता के अनुसार, ऐसे आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को भविष्य में समायोजन के अधीन अनारक्षित रिक्तियों पर पदोन्नत किया जाएगा। राजस्थान राज्य के विभिन्न विभाग और राजस्थान लोक सेवा आयोग ऐसी स्थिति का सामना कर रहे थे, जहाँ संवर्ग के वरिष्ठ पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी कार्यरत थे। ऐसी स्थिति में, विभाग ने कार्मिक विभाग से राय माँगी कि क्या उन वरिष्ठ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों पर अनारक्षित रोस्टर बिन्दुओं पर विचार किया जाए या उन्हें उनके संबंधित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटे के आधार पर विचार किया जाए। कार्मिक विभाग ने विभिन्न विभागों को विभिन्न पत्र जारी किए हैं, लेकिन मुख्यतः राजस्थान लोक सेवा आयोग को 13.09.2013 को जारी किया गया था, जिसका उसके बाद सभी विभागों द्वारा पालन किया गया। कार्मिक विभाग की दिनांक 13.09.2013 की राय को इस अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 113/2020 सुनिल कुमार बाकलीवाल बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में चुनौती दी गई, जिसके तहत अधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 09.10.2020 के तहत 13.09.2013 की राय को रद्द कर दिया है, क्योंकि यह दिनांक 11.09.2011 की अधिसूचना के विपरीत है। हालाँकि, प्रत्यर्थी विभाग ने उक्त आदेश को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के समक्ष चुनौती दी थी, जहाँ एससी/एसटी उम्मीदवारों के प्रत्यावर्तन की स्थिति को देखते हुए, माननीय उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम उपाय के रूप में दिनांक 09.10.2020 के आदेश पर रोक लगाना उचित समझा। इस अधिकरण के निर्णय दिनांक 9.10.2020 के बावजूद, प्रत्यर्थी विभाग मनमाने तरीके से अभी भी दिनांक 13.09.2013 की राय में अनुरूप कार्यवाही कर रहे हैं। दिनांक 11.9.2011 की अधिसूचना के अनुसार, सभी 120 सेवाओं में रिव्यू डीपीसी की गई है और दिनांक 01.04.1997 से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिकारियों के आधिक्य पदोन्नत अधिकारियों को तदर्थ रूप से पदोन्नत किया। उक्त विवादित डीओपी राय को संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत जारी अधिसूचना से ऊंचे स्तर का नहीं माना जा सकता। दिनांक 11.09.2011 की अधिसूचना में कोई अस्पष्टता नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दीपा ई.वी. के मामले में यह माना है कि एक बार आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार ने आरक्षण का लाभ ले लिया है, तो वह अनारक्षित रोस्टर पॉइंट पर आगे विचार के लिए अयोग्य हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अनारक्षित रोस्टर पॉइंट पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को पदोन्नत करने की कार्रवाई अस्वीकार्य

है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दीपा ई.वी. बनाम भारत संघ के मामले में पारित निर्णय दिनांक 06.04.2017 की अनुपालना में राजस्थान राज्य ने एक परिपत्र दिनांक 26.07.2017 (अनुलग्नक–15) जारी किया था, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यदि सीधी भर्ती के स्तर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी की अनारक्षित अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों की तुलना में कम अंकों के साथ नियुक्ति होती हैं, तो किसी भी परिस्थिति में उन्हें अनारक्षित सीटों पर नहीं माना जाएगा, चाहे वह सीधी भर्ती हो या पदोन्नति। तदनुसार प्रत्यर्थी विभाग की विवादित कार्रवाई गौरव प्रधान बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के मामले में दिनांक 18.08.2017 को दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विपरीत है। अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी विभाग की अवैध कार्रवाई से व्यथित होने के कारण प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन दिए गए। इसके बावजूद प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर निर्णय लिए बिना ही अवैध पदोन्नति की प्रक्रिया जारी रखे हुए हैं।

अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया जाए कि अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 के उल्लंघन में अनारक्षित रोस्टर बिन्दुओं पर एससी/एसटी श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों पर विचार करते हुए रिक्ति वर्ष 2024–25 के लिए वरिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान नहीं की जावे। डीओपी की राय संख्या एफ21(2)डीओपी/ए–2/2023(305)/10908 को अपास्त किया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया जाए कि वे 11.09.2011 की अधिसूचना के सही कार्यान्वयन में 2024–25 की रिक्तियों के विरुद्ध वरिष्ठ लेखा अधिकारी के पद के लिए अनारक्षित रिक्तियों पर पदोन्नति करने के उद्देश्य से केवल अनारक्षित श्रेणी से संबंधित पदाधिकारियों पर विचार करें। अपील लम्बित रहने के दौरान अपीलार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष के विरूद्ध पारित किसी आदेश को रिकार्ड पर लिया जाकर निरस्त एवं अपास्त किया जावे।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर अधिकरण द्वारा दिनांक 26.09.2024 को निम्न आदेश पारित किया गयाः–

> ''प्रश्न विचारणीय है। अतः अपील ग्राह्य की जाती है। स्थगन प्रार्थना पत्र पर अन्तरिम आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण की सेवा में प्रवेश की कनिष्ठ लेखाकार के पद की मूल वरिष्ठता के अनुसार उनकी वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुये एवं कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 की अक्षरक्षः पालना करते हुये उक्त रिक्ति वर्ष के विरूद्ध अपीलार्थीगण के नाम पर वरिष्ठ लेखाकाधिकारी के पद पर रिक्ति वर्ष 2024–25 के विरूद्ध पदोन्नति हेतु विचार किया जावे। पारिणामिक (कॉसीक्यूनसियल) वरिष्ठता के आधार पर अनारक्षित पदों पर अभ्यांश पूर्ण दशा में आरक्षित वर्ग के कार्मिकों की पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाये।''

इस अपील में राज्य लेखा सेवा के 11 अधिकारियों ने आदेश 1 नियम 10 के अन्तर्गत पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 28.10.2024 को प्रस्तुत किया। अधिकरण द्वारा इस संबंध में उभय पक्ष को सुनकर आदेश दिनांक 14.11.2024 द्वारा उक्त आवेदन सीपीसी आदेश 1 नियम 10 के आरक्षित वर्ग के निम्न आवेदक सं. 1 नीरज कुमार मीणा, सं. 3 श्रीमती रेखा डामोर, सं. 4 किशन सहाय मीणा, सं. 5 हमीराराम मेघवाल, सं. 6 सरिता दयाल, सं. 7 रजनीकांत मीणा एवं सं. 8 सुशील

कुमार रोहिल को पक्षकार बनाये जाने की अनुमति प्रदान की गई एवं उन्हें अपील में क्रमशः प्रत्यर्थीगण 7 से 13 के रूप में संयोजित किया गया।

प्रत्यर्थी विभाग 1 से 3 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर कथन किया गया कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 (अनुलग्नक–आर/1) एवं कार्मिक विभाग द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग को दिनांक 13.09.2013 (अनुलग्नक–आर/2) को दिये गये अभिमत के अनुसार विभाग द्वारा राजस्थान लेखा सेवा के कनिष्ठ संवर्ग से पदोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। अपीलार्थीगण राजस्थान लेखा सेवा में लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नत आरक्षित श्रेणी के अधिकारियों से उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति कनिष्ठ लेखाकार/लेखाकार के पद पर कनिष्ठ थे इसलिए अनारक्षित वर्ग के कार्मिक राजस्थान लेखा सेवा में आरक्षित वर्ग के कार्मिकों से कनिष्ठ होने के आधार पर पदोन्नति नहीं दी गई। निजी प्रत्यर्थी श्री राजेन्द्र प्रसाद कल्याण एवं विश्राम मीना को वर्ष 2019–20 की रिक्तियों के विरूद्ध लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया, जबकि अपीलार्थीगण को वर्ष 2020–21 में लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया। अतः पूर्व में पदोन्नत कार्मिक बाद में पदोन्नत कार्मिकों से वरिष्ठ होने के कारण, नियमानुसार वरिष्ठता सूची सही ढंग से जारी की गई। आरक्षित श्रेणी के कार्मिकों को अनारक्षित पदों पर पदोन्नत किया गया है, क्योंकि वे अनारक्षित कार्मिकों से वरिष्ठ है। कार्मिक विभाग द्वारा पदोन्नति हेतु जारी परिपत्र के नियमों के अनुसार विचारणीय सीमा तीन गुणा बढ़ाये जाने के बाद भी पदोन्नति के पात्र केवल 50 अधिकारी ही है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 11.09.2011 एवं कार्मिक विभाग द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग को दी गई राय दिनांक 13.09.2013 के अनुसार पदोन्नतिया दी गई है। इस प्रकार अपील में उठाये गये तथ्य आधारहीन है। अतः अपील खारिज किये जाने योग्य है।

निजी प्रत्यर्थी संख्या 7 से 13 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया है कि वर्तमान अपील में, अपीलार्थीगण ने यह नहीं बताया है कि उनका नाम वरिष्ठता सूची में क्रमांक 89, 78, 96 और 69 पर रखा गया था और कुल रिक्तियाँ केवल 50 हैं, इसलिए वर्ष 2024–25 की रिक्ति पर राजस्थान लेखा सेवा (वरिष्ठ वेतनमान) के पद पर पदोन्नत नहीं होंगे। अपीलार्थीगण का कथन है कि परिणामी आधार पर वरिष्ठता प्राप्त करने वाले एससी/एसटी उम्मीदवारों को पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जावे। इस संबंध में प्रत्यर्थीगण का निवेदन है कि जहां तक राजस्थान लेखा सेवा (जूनियर स्केल) की वरिष्ठता स्थिति का संबंध है, आइटम नंबर 1 पर रखे गए उम्मीदवार को 2017–18 की रिक्ति के विरुद्ध विचार किया गया, लेकिन उसका परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखा गया था एवं वह सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका है। आइटम नंबर 2 पर रखे गए उम्मीदवार को 2020–21 की रिक्ति के विरुद्ध पहले ही पदोन्नत किया जा चुका है। आइटम नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 पर रखे गए उम्मीदवारों का संबंध है, चार सीटें आरक्षित थीं लेकिन उन पर विचार नहीं किया गया है। राजस्थान लेखा सेवा जूनियर स्केल में वरिष्ठता क्रम संख्या 8 से शुरू होती है और

जहां तक क्रम संख्या 8 से 56 तक उल्लिखित नामों का संबंध है, उन्हें 2019–20 की रिक्ति के विरुद्ध राजस्थान लेखा सेवा जूनियर स्केल के पद पर सीधे भर्ती किया गया था और वे अपनी वरिष्ठता स्थिति के आधार पर 2024–25 की रिक्ति के विरुद्ध राजस्थान लेखा सेवा जूनियर स्केल के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र और हकदार हैं और इसलिए उनके द्वारा परिणामी वरिष्ठता प्राप्त करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इस प्रकार अपीलार्थीगण ने 11.9.2011 की अधिसूचना की गलत व्याख्या की है और केवल 2024–25 की रिक्ति के विरुद्ध राजस्थान लेखा सेवा (वरिष्ठ स्केल) के पद पर पदोन्नति प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने के इरादे से वर्तमान अपील दायर की है। ऊपर उल्लिखित तथ्यों के अनुसार, यह स्पष्ट है कि क्रमांक 8 से 56 तक के उम्मीदवार राजस्थान लेखा सेवा (जूनियर स्केल) के पद पर वर्ष 2019–20 की रिक्ति के विरूद्ध सीधी भर्ती हुए हैं। जहाँ तक अपीलार्थीगण का संबंध है, उन्हें 2020–21 की रिक्ति के विरुद्ध आरएसीएस (जूनियर स्केल) संवर्ग में पदोन्नत किया गया है। इस प्रकार वरिष्ठता की अनदेखी करते हुए अपीलार्थीगण को आरएसीएस (वरिष्ठ स्केल) के पद पर पदोन्नति के लिए विचार करने का अधिकार नहीं है, इस आधार पर वर्तमान अपील पोषणीय नहीं है और खारिज किए जाने योग्य है। अपीलार्थीगण ने गलत तथ्य प्रस्तुत किए हैं कि संवर्ग कनिष्ठ लेखाकार के पद से शुरू होता है। कनिष्ठ लेखाकार, सहायक लेखा अधिकारी ग्रेड II और सहायक लेखा अधिकारी ग्रेड II के पद राजस्थान लेखा अधीनस्थ सेवा नियम, 1963 के दायरे में आते हैं और इस प्रकार कैडर सहायक लेखा अधिकारी ग्रेड–I के कैडर में पदोन्नति तक समाप्त होता है। जहां तक राजस्थान लेखा सेवा नियम, 1964 का संबंध है, कैडर लेखा अधिकारी के पद से शुरू होता है जिसे राजस्थान लेखा सेवा (कनिष्ठ वेतनमान) के रूप में जाना जाता है और अपीलार्थी 2020–21 की रिक्ति के विरुद्ध पदोन्नति के माध्यम से भर्ती के बाद राजस्थान लेखा सेवा (कनिष्ठ वेतनमान) के सदस्य बने। 1954 के नियमों के प्रावधानों के अनुसार, नियम 7 भर्ती के स्रोतों से संबंधित है और भर्ती दो तरीकों पर आधारित है, पहला पदोन्नति के माध्यम से और दूसरा, सीधी भर्ती द्वारा।

उक्त नियम 7 के अनुसार, पदोन्नति भी एक भर्ती है और जहां तक अपीलार्थीगण का संबंध है, उन्हें 2020–21 की रिक्ति के विरुद्ध राजस्थान लेखा सेवा (जूनियर स्केल) के संवर्ग में पदोन्नति के माध्यम से नियुक्त किया गया था और जहां तक वर्तमान उत्तरदाता प्रतिवादियों का संबंध है, उन्हें 2019–20 की रिक्ति के विरुद्ध आरएसीएस (जूनियर स्केल) के पद पर सीधे भर्ती किया गया था और इस प्रकार वरिष्ठता सूची 1954 के नियमों के अनुसार सही ढंग से जारी की गई थी। यहां यह भी ध्यान देने योग्य है कि 1954 के नियमों का नियम 07 भर्ती के स्रोत से संबंधित है, नियम 29 सेवा में नियुक्ति से संबंधित है और नियम 32 वरिष्ठता से संबंधित है और उपर्युक्त नियमों के अनुसार उत्तरदाता प्रत्यर्थी 1920 से आरएसीएस जूनियर स्केल के सदस्य बन गए और अपीलकर्ता वर्ष 2020–21 में आरएसीएस जूनियर स्केल के सदस्य बने। अपीलार्थीगण के साथ–साथ उत्तरदाता प्रत्यर्थीगण को उक्त नियमों के नियम 32

के अनुसार वरिष्ठता प्रदान की गई और 1954 के नियमों के नियम 29 में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सेवा में नियुक्ति का अर्थ आरएसीएस जूनियर स्केल के कैडर में पदोन्नति या भर्ती द्वारा शामिल होना है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण आरएसीएस जूनियर स्केल के कैडर में उत्तरदाता प्रत्यर्थीगण से कनिष्ठ हैं और उत्तरदाता प्रत्यर्थीगण ने नियमों के अनुसार आरएसीएस जूनियर स्केल के कैडर में कोई परिणामी वरिष्ठता प्राप्त नहीं की है। अपीलार्थीगण ने इस आधार पर अपील दायर की है कि सरकार 11.09.2011 की अधिसूचना के प्रावधानों के विरुद्ध पदोन्नति प्रक्रिया संचालित करने जा रही है। इस संबंध में उत्तरदाता प्रत्यर्थीगण का निवेदन है कि दिनाक 26.09.2024 को डीपीसी आयोजित हो चुकी है, लेकिन इस अधिकरण के समक्ष लंबित प्रकरण के कारण, डीपीसी का परिणाम आज तक घोषित नहीं किया गया है। उत्तरदाता प्रत्यर्थीगण का निवेदन है कि दिनांक 11.9.2011 की अधिसूचना केवल संवर्ग में परिणामी वरिष्ठता प्राप्त करने से संबंधित है। यह स्वीकार्य स्थिति है कि उत्तरदाता प्रत्यर्थीगण को वर्ष 2019–20 में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किया गया था और उन्होंने कोई परिणामी वरिष्ठता प्राप्त नहीं की है और वे भर्ती की मूल वरिष्ठता के आधार पर ही प्रथम पदोन्नति के पात्र हैं। दिनांक 11.9.2011 की अधिसूचना ने आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों से संबंधित सीलिंग निर्धारित की है। यदि वे परिणामी वरिष्ठता प्राप्त करते हैं लेकिन ऐसे मामले में जब एससी/एसटी उम्मीदवारों ने कोई परिणामी वरिष्ठता प्राप्त नहीं की है, सीलिंग लागू नहीं होती है क्योंकि सेवा न्यायशास्त्र के अनुसार रिक्ति उपलब्ध होने पर वरिष्ठ व्यक्ति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अनारक्षित रिक्ति का मतलब यह नहीं है कि उक्त रिक्ति एक ही जाति या वर्ग से भरी गई है, अनारक्षित का मतलब योग्यता एवं वरिष्ठता के आधार पर सभी के लिए खुली है। सरकार ने दिनांक 11.09.2011 की अधिसूचना के अनुरूप 13.09.2013 को सही परिपत्र जारी किया है, जिसके अनुसार यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति मूल वरिष्ठता में वरिष्ठ हैं, तो उन्हें अनारक्षित रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा और जब भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की रिक्तियां उपलब्ध होंगी, उन्हें रोस्टर बिंदु के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा और इस प्रकार 13.09.2013 का परिपत्र 11.09.2011 की अधिसूचना के विपरीत नहीं है। जहां तक सुनील बाकलीवाल के मामले में अपीलार्थीगण द्वारा उद्धृत निर्णय का संबंध है, उस पर माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है और इस प्रकार उक्त निर्णय वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है। पीएचईडी में पदोन्नति आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है। सभी विभागों में, अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 और 13.09.2013 को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति आदेश जारी किए गए हैं। वर्तमान अपील पूरी तरह से प्रत्यर्थी संख्या 5 और 6 के खिलाफ आधारित है और जहां तक प्रत्यर्थी संख्या 5 और 6 का संबंध है, उन्हें पहले ही 2023–24 की रिक्ति के लिए पदोन्नति हेतु विचार किया जा चुका है, लेकिन इनका रिकॉर्ड पूरा नहीं करने के कारण, उनकी सिफारिशें स्थगित कर दी गईं और इस

प्रकार 2024–25 की रिक्ति के विरूद्ध प्रत्यर्थी संख्या 5 और 6 का कोई संबंध नहीं है और इसलिए, अपीलार्थीगण ने जानबूझकर आरएसीएस जूनियर स्केल के संवर्ग में पदोन्नति में बाधा उत्पन्न करने के लिए यह अपील प्रस्तुत की है। इसलिए अपीलार्थीगण द्वारा दायर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 राजेन्द्र प्रसाद कल्याण ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि निजी प्रत्यर्थी वर्तमान में निदेशालय मत्स्य, राजस्थान, जयपुर में लेखाधिकारी के पद पर कार्यरत है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में दिनांक 01.04.2023 की स्थिति के अनुसार वरिष्ठता सूची में उसकी वरिष्ठता क्रमांक 20 पर अंकित है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 30.09.2023 के कार्यवाही विवरण के अनुसार निजी प्रत्यर्थी सहित कुल 4 अधिकारीगण के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अपूर्ण होने के कारण वित्तीय वर्ष 2023–24 की रिक्तियों के विरुद्ध वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति को आस्थगित करते हुये कुल 4 पद रिक्त रखे जाने की अनुशंषा की गई थी तथा आपसी वरिष्ठता यथावत रखी गई थी। निजी प्रत्यर्थी की वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति वांछित अभिलेख पूर्ण होने पर रिव्यू डीपीसी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 की रिक्तियों के विरूद्ध देय है। निजी प्रत्यर्थी द्वारा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 का प्रस्तुत कर दिया गया है जो सक्षम स्वीकारकर्ता प्राधिकारी द्वारा स्वीकार भी किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में दिनांक 01.04.2024 की स्थिति के अनुसार वरिष्ठता सूची में निजी प्रत्यर्थी की वरिष्ठता सूची क्रमांक 4 पर (आस्थगित) अंकित है। उक्त वरिष्ठता सूची में निजी प्रत्यर्थी अनुसूचित जाति संवर्ग में वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु वरिष्ठतम पात्र अधिकारी है। जो वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए भी अनुसूचित जाति संवर्ग में कुल 10 रिक्तियों एवं पूर्व वित्तीय वर्ष 2023–24 की (–9) रिक्तियों को समायोजित करने पर भी निजी प्रत्यर्थी एक मात्र रिक्त पद के लिए वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र है। अतः निजी प्रत्यर्थी सं0 5 के विरूद्ध अपीलार्थीगण की अपील खारिज किए जाने योग्य है।

अपीलार्थीगण की तरफ से प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब का जवाबुल जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के तहत जारी की गई है, जिसमें आरक्षित वर्ग के कार्मिकों को अनारक्षित रोस्टर बिन्दुओं पर पदोन्नति को प्रतिबंधित किया है। दिनांक 13.09.2013 की राय उक्त अधिसूचना के विपरीत है। इस प्रकार परिपत्र दिनांक 13.09.2013 अधिसूचना 11.09.2011 के उपर प्रभावी मानते हुए प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 13.09.2013 के परिपत्र को उपयोग कर वरिष्ठ लेखाधिकारी की वर्ष 2023–24 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति कार्यवाही करने का कथन किया है। अपीलार्थीगण कनिष्ठ लेखाकार के पद पर वर्ष 1986 में नियुक्त हुए एवं निजी प्रत्यर्थी आरक्षण के लाभ लेकर बाद में नियुक्त हुए। अतः प्रत्यर्थी विभाग का यह कहना गलत है कि कनिष्ठ लेखाकार की प्रारम्भिक नियुक्ति के समय निजी प्रत्यर्थीगण अपीलार्थीगण से

वरिष्ठ थे। मात्र वरिष्ठता के आधार पर रोस्टर व्यवस्था का उल्लंघन नहीं किया जा सकता एवं आरक्षित वर्ग के कार्मिकों को अनारक्षित रोस्टर बिन्दुओं के विरूद्ध निर्धारित आरक्षण सीमा से ज्यादा समायोजित नहीं किया जा सकता। वर्ष 2024–25 में पदोन्नति हेतु अधिसूचना दिनांक 05.07.2024 द्वारा अनुभव में दो वर्ष की छूट दी गई। इस प्रकार लेखाधिकारी के पद पर वर्ष 2021–22 में पदोन्नत कार्मिक वर्ष 2024–25 की वरिष्ठ लेखाधिकारी की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु पात्र हो गये। दिनांक 01.04.2024 की स्थिति में जारी वरिष्ठता सूची दिनांक 01.05.2024 में कुल 364 अधिकारी शामिल है, जिसमें वर्ष 2014–15 से 2021–22 की अवधि में 296 अधिकारियों ने पदोन्नति प्राप्त की। इस प्रकार नियम 28ए के अनुसार विचारणीय जोन (zoc) रिक्तियों के तीन गुणा तक तैयार करने हेतु पर्याप्त अधिकारी उपलब्ध थे, परन्तु प्रत्यर्थी विभाग ने 50 रिक्तियों के विरूद्ध मात्र 58 व्यक्तियों का जोन ऑफ कन्सीडरेशन बनाया। अधिकरण ने आदेश दिनांक 26.09.2024 द्वारा यह निर्देश दिए थे कि अपीलार्थीगण के कनिष्ठ लेखाकार के पद पर प्रारम्भिक नियुक्ति के दृष्टिगत वर्ष 2024–25 की वरिष्ठ लेखाधिकारी की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु अपीलार्थी के नाम पर विचार किया जावे। अपीलार्थीगण द्वारा आरटीआई में प्राप्त समिति बैठक दिनांक 20.02.2025 के कार्यवृत्त अनुलग्नक–1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरक्षित वर्ग के 20 कार्मिकों को अनारक्षित रोस्टर बिन्दु पर पदोन्नति प्रदान की गई, जो अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 के विपरीत है। साथ ही समिति ने अधिकरण के निर्देश दिनांक 26.09.2024 को सम्यक् माना है एवं अपील नहीं करने का निर्णय लिया है। अतः अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

निजी प्रत्यर्थी संख्या 7, 9 एवं 12 की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर यह कथन किया है कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील प्रिम्चौर है क्योंकि अभी तक अपीलाथीगण के विरूद्ध कोई भी आदेश पारित नहीं किया गया है। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में अपील करने का जो अधिकार है उसे 2एफ में स्पष्ट किया गया है जिसके द्वारा किसी भी ऐसे आदेश को माननीय अधिकरण के समक्ष चुनौती दी जा सकती है जिससे कर्मचारी के हितों पर विपरीत प्रभाव पडेगा। वर्तमान प्रकरण में आज दिनांक तक कोई भी ऐसा आदेश नहीं है जो स्पष्ट रूप से अपीलार्थीगण के विरूद्ध हो। अपीलार्थी ने कार्मिक विभाग की जिस राय को चुनौती दी है वह एक राय मात्र है जिससे अपीलार्थीगण को कोई वादमूल उत्पन्न नहीं होता है और अपीलार्थीगण की अपील इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थीगण की नियुक्ति कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 1986 की भर्ती परीक्षा के आधार पर हुई। प्रत्यर्थीगण की क्रमांक 7, 9,12 की नियुक्ति राजस्थान लेखा सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में लेखाधिकारी के पद पर राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती हेतु आयोजित परीक्षा–2016 में सफल होने के उपरांत आदेश दिनांक 30.06.2019 के द्वारा की गई। इस संबंध में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा लेखाधिकारी की दिनांक 02.06.2020 को वरिष्ठता सूची जारी की गई और मेरिट के आधार पर प्रत्यर्थीगण की

वरिष्ठता सूची में नियमानुसार स्थान अंकित किया गया जो दिनांक 01.04.2021, 01.04.2022, 01.04.2023 और 01.04.2024 के अनुसार वरिष्ठता सूची जारी की गई जिसमें नियमानुसार प्रत्यर्थीगण की वरिष्ठता दर्शायी गयी। प्रत्यर्थीगण सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त लेखाधिकारी है जिन्होने आदेश दिनांक 30.06.2019 के द्वारा लेखाधिकारी के पद पर कार्यग्रहण किया है जबकि अपीलार्थीगण कनिष्ठ लेखाकार के पद से पदोन्नत होकर वर्ष 2020–21 की रिक्तियों के विरूद्व राजस्थान लेखा सेवा में कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति प्राप्त कार्मिक हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण प्रत्यर्थीगण से सेवा में कनिष्ठ है। प्रकरण में अपीलार्थीगण द्वारा यह प्रश्न उठाया गया है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति की रिक्ति का 16, 12 प्रतिशत का जो आरक्षण का प्रावधान है वह अभ्यांश पूर्ण है इसलिए किसी भी अनुसूचित जाति/जनजाति कार्मिक को अनारक्षित रिक्ति के विरूद्व पदोन्नत नहीं किया जावे। इस संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 7, 9 व 12 का यह तर्क है कि प्रत्यर्थी संख्या 7, 9 व 12 सेवा में प्रवेश की दिनांक से अपीलार्थीगण से स्वीकार्य रूप से वरिष्ठ कार्मिक है और यदि आगामी पद वरिष्ठ लेखाधिकारी पद पर पदोन्नति दी जा रही है तो ऐसे आरक्षित वर्ग के कार्मिक जो मूल वरिष्ठता में अनारक्षित कार्मिक से वरिष्ठ है उनको पदोन्नति का लाभ दिया जाना चाहिये। इस संबंध में समय–समय पर उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय ने ऐसे आदेश पारित किये है कि मूल वरिष्ठता में आरक्षित वर्ग में यदि कोई कार्मिक वरिष्ठ है तो पदोन्नति किये जाते समय यदि पद आरक्षित वर्ग का नहीं है तो भी उन्हें अनारक्षित वर्ग के पद के विरूद्ध पदोन्नति का लाभ दिया जाना चाहिये व तत्पश्चात उनके नियमानुसार निर्धारित 16 और 12 प्रतिशत कोटे के अतिरिक्त भी उन्हे पदोन्नति का लाभ दिया जाना चाहिये और भविष्य में आरक्षित पदों के विरूद्ध उन्हें समायोजित किया जाना चाहिये। इस संबंध में कार्मिक (क–2) विभाग ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 3609/2012 दीपा ईवी बनाम भारत संघ व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 06.04.2017 के क्रम में निर्देश जारी किया है कि यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग से किसी अभ्यर्थी ने किसी विशेष छूट यथा आयु सीमा अंक, फिजिकल फीटनेस का भर्ती प्रक्रिया में फीस के अतिरिक्त लाभ नहीं उठाया है तथा वह अंतिम अनारक्षित वर्ग का अभ्यर्थी से अधिक अंक प्राप्त कर चयनित होता है तो इस प्रकार का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडी जाति का अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग की रिक्ति के विरूद्व चयनित माना जायेगा न कि आरक्षित वर्ग की संबंधित रिक्ति के विरूद्व। यदि एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी अपनी मेरिट के आधार पर बिना विशेष छूट का लाभ उठाये अनारक्षित रिक्ति के विरूद्व चयनित होता है तो उसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का अभ्यर्थी ही माना जायेगा। उसका तमाम सेवा प्रकरण जिसमें आगामी पदोन्नति भी शामिल है, में आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा और उसे वे सभी लाभ प्रदान किये जायेंगे जो कि अन्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को विभिन्न सेवा नियमों के अनुसार देय बनते है। अनुसूचित जाति,

अनुसूचित जनजाति, पिछडा वर्ग के अभ्यर्थी जो अनारक्षित रिक्ति के विरूद्ध अपनी मेरिट के आधार बिना विशेष छूट का लाभ लिये चयनित होता है उन्हें उक्त अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों के विरूद्व नहीं माना जायेगा जब यह प्रश्न निर्धारित किया जायेगा कि कुल पदों में से अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के कितने पद है। इसका आशय यह है कि उक्त अभ्यर्थियों को अनारक्षित पदो के विरूद्ध चयनित माना जायेगा। उक्त निर्देश कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 द्वारा जारी किया गया है।

अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 जिसके द्वारा कार्मिक (क–2) विभाग ने विभिन्न सेवा नियमों यथा राजस्थान लेखा सेवा के नियम 32 में संशोधन दिनांक 01.04.1997 से प्रभावी करते हुए यह स्पष्ट अंकित किया है कि

Provided that reservation for Scheduled Caste and Scheduled Tribes employees with consequential Seniority, shall continue till the roaster points ar exhausted, and adequacy of promotion is achieved.

Once the roaster points are complete, the theory of replacement shall thereafter be exercised in promotion whenever vacancies, earmarked for scheduled caste, scheduled tribes employees occur.

इस प्रकार उक्त अधिसूचना में यह स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कार्मिकों के लिए पदोन्नति में परिणामिक वरिष्ठता के आधार पर आरक्षण तब तक जारी रहेगा जब तक उनके लिए निर्धारित रोस्टर बिन्दू पूर्ण नहीं हो जाते एवं पदोन्नति की पर्याप्तता प्राप्त नहीं हो जाती। एक बार रोस्टर बिन्दू पूर्ण होने के उपरांत प्रतिस्थापन सिद्वान्त पदोन्नति हेतु लागू किया जायेगा जहां कि रिक्ति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए उत्पन्न हो। इससे यह स्पष्ट होता है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को पदोन्नति में परिणामिक वरिष्ठता के साथ पदोन्नति का लाभ प्रदान करने हेतु उनके लिए पदोन्नति में आरक्षण की निर्धारित सीमा 16 एवं 12 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इस सीमा तक परिणामिक वरिष्ठता के आधार पर उनकी पदोन्नति की जा सकेगी। ऐसे मामलों में परिणामिक वरिष्ठता प्राप्त आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को पदोन्नति में आरक्षित वर्ग की रिक्ति के अतिरिक्त अन्य रिक्ति के पद पर पदोन्नत नहीं किया जा सकता। उक्त अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जब भी अनुसूचित जाति और जनजाति की पदोन्नति हेतु रिक्तियां उपलब्ध होगी, प्रतिस्थापन का सिद्वान्त लागू होगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आरक्षित वर्ग की रिक्तियों में निर्धारित सीमा तक उनका चयन परिणामिक वरिष्ठता के आधार पर किया जा सकता है। जहां तक अनारक्षित रिक्तियों का प्रश्न है उक्त प्रावधान लागू होने का उक्त अधिसूचना में कोई उल्लेख नहीं है। जिसका स्पष्ट आशय है कि अनारक्षित वर्ग की रिक्तियों के विरूद्ध आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी मूल वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति प्राप्त कर सकते है।

कार्मिक (क–2) विभाग का पत्र/राय दिनांक 13.09.2013 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 की पालना में पदोन्नति में अनुसूचित जाति

एवं जनजाति का प्रतिनिधित्व 16 एवं 12 प्रतिशत के अनुपात में होगा लेकिन यदि अनुसूचित जाति, जनजाति का प्रतिनिधित्व पूर्ण है किन्तु उक्त वर्ग का कोई पात्र राजसेवक अपनी सेवा में प्रवेश के समय की वरिष्ठता के आधार पर बिना परिणामिक वरिष्ठता का लाभ लिये वरिष्ठ है तथा उसे पदोन्नत नहीं करने पर उससे सेवा में प्रवेश के समय का कनिष्ठ राजसेवक पदोन्नत हो रहा है तो पहले उसे अनारक्षित वर्ग के पद के विरूद्ध पदोन्नत किया जायेगा किन्तु भविष्य में कुल पदों की गणना में उसके पद को आरक्षित की श्रेणी में गणना की जावेगी। यदि आरक्षित वर्ग के किसी वरिष्ठ कार्मिक ने किसी स्तर का भी परिणामिक वरिष्ठता का लाभ लिया है तो उसे क्रमशः 16 एवं 12 प्रतिशत के अनुपात में पद रिक्त होने पर ही पदोन्नति की जावेगी परन्तु यदि सेवा में प्रवेश के समय का कनिष्ठ राजसेवक पदोन्नत हो रहा है तो उक्त स्थिति में भी उसे अनारक्षित वर्ग के पद के विरूद्ध पदोन्नत किया जायेगा। उक्त राय में बिन्दू संख्या 4 पर कार्मिक विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सेवा में प्रवेश के समय की वरिष्ठता को देखते समय यह महत्वपूर्ण नहीं है कि वह आरक्षण का लाभलेकर चयनित हुआ है अथवा मेरिट के आधार पर। यदि आरक्षण का लाभ लिये बिना चयनित कोई कार्मिक किसी एक स्तर पर परिणामिक वरिष्ठता का लाभ लिये भी हो तो भी सेवा में प्रवेश की वरिष्ठता के आधार पर अनारक्षित पद के विरूद्ध पदोन्नत हो सकेगा बशर्त कि आरक्षित श्रेणी में कोई पद रिक्त नहीं हो। कार्मिक विभाग की उक्त राय दिनांक 13.09.2013 पूर्णतः अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 के प्रावधान के अनुरूप है क्योंकि अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 में अनुसूचित जाति/जनजाति का कमशः 16 एवं 12 प्रतिशत पदों को ही परिणामिक वरिष्ठता के आधार पर भरने का प्रावधान किया गया है जहां तक अनारक्षित वर्ग के पदो के पदस्थापन की उक्त पदों पर मूल वरिष्ठता के आधार पर आरक्षित अभ्यर्थियों को चयनित करने पर कोई रोक नहीं लगायी गयी है। स्पष्ट है कि अनारक्षित वर्ग का आशय सामान्य वर्ग से नहीं है। अनारक्षित के अन्तर्गत सभी वर्ग जिसमें सामान्य, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछडा वर्ग अति पिछडा वर्ग, आर्थिक तौर पर पिछडे वर्ग एवं अन्य आरक्षण के प्रावधान वाले अभ्यर्थी सम्मिलित हैं। यदि प्रस्तुत अपील में अपीलार्थीगण द्वारा 11.09.2011 की अधिसूचना का जो आशय माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, यदि उस आशय को माना जाय तो अपीलार्थीगण के अनुसार 72 प्रतिशत आरक्षण सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को उपलब्ध होता है जो कि अधिसूचना के अनुसार कहीं वर्णित नहीं है। किसी भी स्थिति में वंचित वर्ग हेतु जो भी प्रावधान किये जाते है उनका आशय यह नहीं है कि यदि वो अन्यथा योग्य है तो उन्हें उनके लिये आरक्षित निर्धारित सीमा से अधिक पदों पर चयन नहीं किया जायेगा। वर्तमान अपील में भी अप्रार्थी कार्मिक राजस्थान लोक सेवा आयोग में सीधी भर्ती परीक्षा 2016 के माध्यम से आदेश दिनांक 30.06.2019 द्वारा नियुक्त हुए है जबकि अपीलार्थीगण कनिष्ठ लेखाकार से लेखाकार तदोपरांत सहायक लेखाधिकारी उसके उपरांत लेखाधिकारी के पद पर वर्ष 2020–21 की रिक्ति के विरूद्व चयनित हुए है। अतः स्पष्ट तौर पर अप्रार्थी कार्मिक राजस्थान लोक सेवा आयोग की

कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में अपीलार्थीगण से वर्ष 2019–20 से नियुक्त/चयनित होने के कारण मूलतः वरिष्ठ है एवं आज दिनांक तक उन्होंने पदोन्नति में किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं किया है। अतः वर्ष 2024–25 के राजस्थान लेखा सेवा की कानेष्ठ वेतन श्रृंखला से वरिष्ठ वेतन श्रृंखला के पद पर पदोन्नति हेतु यदि आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व पूर्ण है तो भी वो नियुक्ति में अपीलार्थीगण में वरिष्ठ होने के कारण एवं पदोन्नति में आरक्षण का कोई भी लाभ आज दिनांक तक प्राप्त नहीं करने के कारण अपीलार्थीगण से पूर्व पदोन्नति के पात्र है। यह कि एसबी सिविल रिट पिटिशन नं. 2325/2013 सोहन लाल वर्मा एवं अन्य बनाम राजस्व मंडल अजमेर व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच ने अपने निर्णय दिनांक 06.05.2014 में उक्त बिन्दुओं को बहुत स्पष्ट करते हुए यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि अपीलार्थीगण जो कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी थे उन्हें अनारक्षित रिक्तियों के विरूद्व पदोन्नति पर विचार किये जाने का अधिकार था। केवल इस आधार पर कि उनके वर्ग की सम्पूर्ण रिक्तियां पूर्णरूप से भरी जा चुकी है और उनके आरक्षित श्रेणी में कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं है इस आधार पर वरिष्ठ होने के उपरांत अनारक्षित रिक्ति के विरूद्व पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता। इस आधार पर उन्हें पदोन्नति से वंचित किया जाना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के पैरा संख्या 14, 15, 16, 17, 18, 19 व 20 में स्पष्ट उल्लेख है। उक्त निर्णय के बिन्दू संख्या 15 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय आर. के. सबरवाल के प्रकरण में प्रतिपादित सिद्धान्त को भी उद्दत किया है जिसके अनुसार आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी अनारक्षित पद हेतु भी विचारित किया जा सकेगा। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर खंडपीठ ने डीबी स्पेशल अपील रिट नं. 103/2018 धर्मेन्द्र कुमार मीना बनाम राजस्व विभाग व अन्य में अपने आदेश दिनांक 07.08.2023 में माननीय उच्च न्यायालय की एसबी सिविल रिट पिटिशन नं. 19729/2017 में प्रदत्त निर्णय दिनांक 13.12.2017 को अपास्त किया। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील खारिज किए जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को सुना गया और पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन एवं अनुशीलन और मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थीगण द्वारा वरिष्ठ लेखाधिकारी पद पर रिक्ति वर्ष 2024–25 में अपीलार्थी के प्रकरण का विचार किए जाने और मूल वरिष्ठता में निजी प्रत्यर्थीगण संख्या 5 एवं 6 से वरिष्ठ होने के आधार पर पदोन्नति प्रदान करने की अनुशंषा चाही है और साथ ही कार्मिक विभाग की राय F21(2)DOP/A-2/2023(305)/10908 को अपास्त किए जाने का अनुतोष चाहा है।

प्रकरण में अपीलार्थीगण द्वारा मात्र दो निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 श्री राजेन्द्र प्रसाद कल्याण और निजी प्रत्यर्थी संख्या 6 विश्राम मीणा को संयोजित किया गया था और अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई थी कि अपीलार्थीगण की प्रारम्भिक नियुक्ति कनिष्ठ लेखाकार के पद पर वर्ष 1986 की है एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 एवं 6 की

नियुक्ति वर्ष 1991 की कनिष्ठ लेखाकार पद पर है। इस कारण निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 एवं 6 सेवा में प्रवेश की मूल वरिष्ठता में अपीलार्थीगण से कनिष्ठ होने के कारण अपीलार्थीगण की वर्ष 2024–25 की रिक्तियों के विरूद्ध लेखाधिकारी से वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु निजी प्रत्यथी से पहले विचार किया जावे। अपीलार्थीगण की लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति (वर्ष 2020–21) निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 एवं 6 की पदोन्नति (वर्ष 2019–20) से बाद में होने से लेखाधिकारी की दिनांक 01.04.2024 के संदर्भ में जारी वरिष्ठता सूची में अपीलार्थीगण का नाम वरिष्ठता में नीचे है। प्रस्तुत अपील वर्ष 2024–25 की वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्रक्रिया के संबंध में दायर की गई है और वित्त विभाग की पदोन्नति प्रक्रिया के संबंध में संधारित की गई नोटशीट को चुनौती देकर यह निवेदन किया गया है कि निजी प्रत्यर्थीगण सेवा में प्रवेश की मूल वरिष्ठता में अपीलार्थीगण से कनिष्ठ है और प्रारम्भिक मूल वरिष्ठता के आधार पर उन्हें अनारक्षित पदों के विरूद्ध पदोन्नति नहीं दी जावे। इन तथ्यों के मध्यनजर अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 26.09.2024 पारित किया गया।

इसके पश्चात सीपीसी आदेश 1 नियम 10 के तहत पक्षकार बनने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने पर अधिकरण ने आदेश दिनांक 14.11.2024 के द्वारा निजी प्रत्यर्थीगण संख्या 7 से 13 को पक्षकार संयोजित किया। समस्त निजी प्रत्यर्थीगण संख्या 7 से 13 सीधी भर्ती से राज्य लेखा सेवा में चयनित लेखाधिकारी है, जिन्होंने सीधी भर्ती में चयनित होने के पश्चात वर्ष 2019 में लेखाधिकारी के पद पर राज्य सेवा में कार्यग्रहण किया है और इनकी प्रथम पदोन्नति वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद पर राजस्थान लेखा सेवा संवर्ग में होनी है। इसलिए स्पष्ट है कि निजी प्रत्यर्थीगण सं. 7 से 13 की वर्तमान वरिष्ठता मूल वरिष्ठता है और उनके द्वारा अभी तक पारिणामिक वरिष्ठता का लाभ प्राप्त नहीं किया गया है। इस प्रकार उनको निजी प्रत्यर्थी संयोजित करने से प्रकरण में की प्रकृति बदल गई है। उससे पहले विवाद राजस्थान लेखा सेवा में पदोन्नत कार्मिकों के मध्य था एवं अब यह विवाद राजस्थान लोक सेवा में सीधी भर्ती एवं पदोन्नत कार्मिकों के मध्य हो गया है।

अपीलार्थीगण द्वारा जिन दो निजी पक्षकारों को प्रत्यर्थी संख्या 5 एवं 6 संयोजित किया गया है, उनको वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति दिए जाने के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 30.09.2023, जिसमें वर्ष 2023–24 की रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया गया, की कार्यवाही विवरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि श्री राजेन्द्र प्रसाद कल्याण (अ.जा.) एवं विश्राम मीणा (अ.ज.जा.) के नाम पर रिक्ति वर्ष 2023–24 में पदोन्नति हेतु विचार किया जावे, परन्तु वार्षिक कार्य प्रतिवेदन एवं सेवाभिलेख अपूर्ण होने के कारण समिति द्वारा इनको कनिष्ठ सेवा संवर्ग से वरिष्ठ सेवा संवर्ग में पदोन्नति को आस्थगित कर चार पद रिक्त रखे जाने की अनुशंषा की गई। इससे स्पष्ट है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 एवं 6 के वरिष्ठ सेवा संवर्ग में पदोन्नति हेतु वर्ष

2023–24 की रिक्तियों के विरूद्ध विचार किया जा चुका है और रिकॉर्ड अपूर्ण होने के आधार पर प्रकरण में पदोन्नति को आस्थगित रख कर चार पद रिक्त रखे गये है। इस कारण निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 एवं 6 रिक्ति वर्ष 2023–24 के लिए विचार कर किए गये है अतः वर्ष 2024–25 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु विचार किए जाने के लिए उपलब्ध नहीं है।

प्रकरण में निम्न दो विचारणीय बिन्दु हैः–

<u>बिन्दु संख्या 1</u> :– क्या अनारक्षित पदों के विरूद्ध आरक्षित संवर्ग (अनुसूचित जाति/जनजाति) के कार्मिकों को उनकी मूल वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति दी जा सकती है, जहां अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु पदोन्नति का निर्धारित अभ्यांश पूर्ण हो चुका हो।

प्रस्तुत अपील में लेखाधिकारी से वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु वर्ष 2024–25 में कुल 50 पद उपलब्ध है, जिनमें 38 पद अनारक्षित (सामान्य वर्ग), 10 पद अनुसूचित जाति एवं 02 पद अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित है। पदोन्नति हेतु पांच वर्ष का न्यूनतम अनुभव निर्धारित है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024–25 में पदोन्नति हेतु अनुभव में दो वर्ष की छूट प्रदान की गई है। पदोन्नति हेतु वित्त विभाग द्वारा तैयार की गई नोटशीट (अनुलग्नक–1) के अनुसार पदोन्नति हेतु पात्रता रखने वाले कुल 58 अधिकारियों की सूची तैयार की गई है और इस नोटशीट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अनारक्षित पदों के विरूद्ध आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों को पदोन्नति दिये जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। यह प्रस्ताव इस आधार पर तैयार किया गया है कि यदि आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों से सेवा में प्रवेश के समय कनिष्ठ अनारक्षित अधिकारी की पदोन्नति हो रही है तो आरक्षित श्रेणी के काार्मिकों को अनारक्षित पद के विरूद्ध पदोन्नत किया जायेगा। भले ही आरक्षित वर्ग हेतु निर्धारित पदोन्नति अभ्यांश पूर्ण हो गया हो।

सवाल यह है कि क्या आरक्षित श्रेणी के कर्मचारी को अनारक्षित पदों के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की जा सकती है, जबकि सेवा में प्रवेश के समय उनकी मूल वरिष्ठता अनारक्षित श्रेणी के ऐसे कर्मचारी से उपर है, जिसे अनारक्षित पद के विरूद्ध पदोन्नत किया जा रहा है और यह तब जबकि अनुसूचित जाति/जनजाति की पदोन्नति हेतु निर्धारित अभ्यांश पूर्ण हो गया हो।

पदोन्नति के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 महत्वपूर्ण है, जो निम्न प्रकार हैः–

"In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Various Service Rules as mentioned in the Schedule-appended hereto, namely:-

1. **<u>Short title and commencement.-</u>** (1) These rules may be called the Rajasthan Various Service (Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall be deemed to have come into force w.e.f. 1-4-1997.

2. **Amendment.** After the existing last proviso in the Rule mentioned in Column No. 3 against each of the Service Rules mentioned in Column No. 2 of the Schedule appended hereto, the following new proviso shall be added at the next serial number, namely:-

"Provided that reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees, with consequential seniority, shall continue till the roster points are exhausted; and adequacy of promotion is achieved.

Once the roster points are complete the theory of replacement shall thereafter be exercised in promotion whenever vacancies earmarked for Scheduled Castes/Scheduled Tribes employees occur.

If on the application of these provisions the Scheduled Castes/Scheduled Tribes employees who had been promoted earlier and are found in excess of the adequacy level, shall not be reverted and shall continue on ad-hoc basis, and also any employee who had been promoted in pursuance to Notification No. F.7(1)DOP/A-II/96 dated 1-4-1997 shall not be reverted.

Notification No. F.7(1)DOP/A-II/96 dated 1-4-1997 shall be deemed to have been repealed w.e.f. 1-4-1997.

Explanation:- Adequate representation means 16% representation of the -Scheduled Castes and 12% representation of the Scheduled Tribes in accordance with the roster point."

इस अधिसूचना के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के कर्मचारियों को उनकी पारिणामिक वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति तब तक दी जावेगी जब तक कि रोस्टर बिन्दु पूर्ण नहीं हो जाते है और पदोन्नति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो जाता है और एक बार रोस्टर बिन्दु पूर्ण होने पर प्रतिस्थापन का सिद्धान्त लागू होगा। इस अधिसूचना में पर्याप्त प्रतिनिधित्व (Adequate representation) का अर्थ अनुसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए 12 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। इस अधिसूचना के द्वारा राजस्थान लेखा सेवा नियम 1954 की धारा 32 को संशोधित किया गया है। यह स्पष्ट है कि यह अधिसूचना पारिणामिक वरिष्ठता के संबंध में प्रावधान करती है कि पारिणामिक वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति तब भी दी जायेगी जबकि रोस्टर बिंदु उपलब्ध हो एवं आरक्षित वर्ग हेतु निर्धारित अभ्यांश पूर्ण नहीं हुआ है। यह अधिसूचना सेवा में प्रवेश की मूल वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति के संबंध में मौन है। प्रस्तुत अपील में अपीलार्थीगण द्वारा संयोजित किए गये निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 एवं 6

पारिणामिक वरिष्ठता के आधार पर लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नत हुए है। इन दोनों को वरिष्ठ लेखाधिकारी वर्ष 2023–24 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु डीपीसी द्वारा विचार किया जाकर उनका सेवाभिलेख अपूर्ण होने के आधार पर 4 पद रिक्त रखते हुए उनके प्रकरण को डेफर किया है। इससे स्पष्ट है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 एवं 6 इस अपील में वर्ष 2024–25 की रिक्तियों के विरूद्ध आयोजित होने वाली डीपीसी में विचार के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।

जहां तक निजी प्रत्यर्थी संख्या 7 से 13 का प्रश्न है, जिन्हें अधिकरण ने सीपीसी आदेश 1 नियम 10 के तहत प्रस्तुत आवेदन स्वीकार कर प्रत्यर्थीगण संयोजित किया है। यह प्रत्यर्थीगण राजस्थान लेखा संवर्ग में सीधी भर्ती से चयनित होकर लेखाधिकारी के पद पर वर्ष 2019 में कार्यग्रहण किया है और वरिष्ठता सूची में इनकी वरिष्ठता मूल वरिष्ठता है और इनके द्वारा पारिणामिक वरिष्ठता का लाभ अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है एवं प्रथम पदोन्नति वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद पर होनी है। जबकि अपीलार्थीगण वर्ष 1986 में कनिष्ठ लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्त हुए है और राजस्थान लेखा सेवा में पदोन्नति द्वारा वर्ष 2020–21 में नियुक्त हुए है। इससे पूर्णतः स्पष्ट है कि निजी प्रत्यर्थीगण संख्या 7 से 13 मूल वरिष्ठता में अपीलार्थीगण से वरिष्ठ है।

सेवा में प्रवेश के समय की मूल वरिष्ठता के आधार पर यदि आरक्षित वर्ग का कर्मचारी सामान्य वर्ग के कर्मचारी से वरिष्ठ है और अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए पदोन्नति के लिए निर्धारित अभ्यांश पूर्ण हो चुका है, तो ऐसी दशा में सामान्य वर्ग का कर्मचारी, जो अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारी से सेवा में प्रवेश की वरिष्ठता से कनिष्ठ है, उसको अनारक्षित वर्ग के पदों पर पदोन्नति दिए जाने की दशा में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के कर्मचारी जो सेवा में प्रवेश की मूल वरिष्ठता में वरिष्ठ है, की वरिष्ठता को नजर अंदाज किया जावेगा अथवा नहीं। इस स्थिति में कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 13.09.2013 को राजस्थान लोक सेवा आयोग को परामर्श प्रेषित किया है, जिसे नीचे उद्धत किया जा रहा हैः–

> **"1. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 की पालना में पदोन्नति में अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रतिनिधित्व कमश 16 प्रतिशत व 12 प्रतिशत के अनुपात में होगा।**
>
> **2. यदि अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रतिनिधित्व 16 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत के अनुपात में पूर्ण है, तो Theory of replacement लागू होगी तथा उक्त वर्ग का पात्र राजसेवक उक्त वर्ग की रिक्ति पर ही पदोन्नत होगा। 8 या 8 से कम पद की स्थिति में Theory of replacement लागू नहीं होगा वरन् कार्मिक विभाग के परिपत्रादेश दिनांक 20.11.1997 के अनुसार एल शेप रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की कार्यवाही होगी।**
>
> **3. परन्तु यदि अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रतिनिधित्व पूर्ण है किन्तु उक्त वर्ग का कोई पात्र राजसेवक अपनी सेवा में प्रवेश के समय की वरिष्ठता के आधार पर बिना पारिणामिक वरिष्ठता (Consequential Seniority) का लाभ लिये**

वरिष्ठ है तथा उसे पदोन्नत नहीं करने पर, उससे सेवा में प्रवेश के समय का कनिष्ठ राजसेवक पदोन्नत हो रहा है तो पहले उसे अनारक्षित पद के विरूद्ध पदोन्नत किया जावेगा। किन्तु भविष्य में कुल पदों की गणना में उसके पद को आरक्षित की श्रेणी में गिना जाकर गणना की जावगी। यदि आरक्षित वर्ग के किसी वरिष्ठ कार्मिक ने किसी स्तर पर भी पारिणामिक वरिष्ठता का लाभ लिया है, तो उसे कमशः 16 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत के अनुपात में पद रिक्त होने पर ही पदोन्नति प्रदान की जायेगी। परन्तु यदि सेवा में प्रवेश के समय का कनिष्ठ राजसेवक पदोन्नत हो रहा है तो उक्त स्थिति में भी उसे अनारक्षित पद के विरूद्ध पदोन्नत किया जायेगा।

4. सेवा में प्रवेश के समय की वरिष्ठता देखते समय यह महत्वपूर्ण नहीं है कि वह आरक्षण का लाभ लेकर चयनित हुआ है अथवा मेरिट के आधार पर। यदि आरक्षण का लाभ लिए बिना चयनित कोई कार्मिक किसी एक स्तर पर पारिणामिक वरिष्ठता का लाभ लिए भी हो, तो भी सेवा में प्रवेश के समय की वरिष्ठता के आधार पर अनारक्षित पद के विरूद्ध पदोन्नत हो सकेगा बशर्ते कि आरक्षित श्रेणी में कोई पद रिक्त नहीं हो।

5. यदि उपरोक्त प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो तथा केडर में पद कम हो, तो केडर को संतुलित (Balance) करने की दृष्टि से अतिरिक्त पद के सृजन के प्रस्ताव कार्मिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को प्रेषित किए जा सकते हैं, किन्तु यह स्पष्ट है कि सेवा में प्रवेश के समय का पात्र वरिष्ठ राजसेवक पहले पदोन्नत होगा तथा वरिष्ठता भी उसी की रहेगी।

तदनुरुप उप सचित हेतु पद सृजन के लिए प्रकरण वित्त विभाग को प्रेषित किया जा रहा है। शेष सहायक सचिव पद पर पद शेष होने व पात्र कार्मिक के मूलतः अनारक्षित वर्ग में चयनित होने के कारण अतिरिक्त पदसृजन की आवश्यकता नहीं है, उसे अनारक्षित पद के विरूद्ध पदोन्नत किया जा सकता है, फिर भी आयोग, आयोग की आवश्यकता के दृष्टिगत सहायक सचिव का भी अतिरिक्त पद स्वीकृत कराना चाहता है तो उसका पृथक से प्रस्ताव प्रेषित करें।"

अपीलार्थीगण की तरफ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या 79/1979 आर.के. सब्बरवाल एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य के मामले में निर्णय दिनांक 10.02.1995 प्रस्तुत किया है:–

"10. We may examine the likely result if the roster is permitted to operate in respect of the vacancies arising after the total posts in a cadre are filled. In a 100 point roster, 14 posts at various roster-points are filled from amongst the Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates, 2 posts are filled from amongst the Backward Classes and the remaining 84 posts are filled from amongst the general category. Suppose all the posts in a cadre consisting of 100 posts are filled in accordance with the roster by December 31,1994. Thereafter in the year 1995, 25 general category persons (out of the 84) retire. Again in the year 1996, 25 more persons belonging to the general category retire. The position which would emerge would be that the Scheduled Castes and Backward Classes would claim 16% share out of the 50 vacancies. If 8 vacancies are given to them then in the cadre of 100 posts the reserve Categories would be holding 24 posts

thereby increasing the reservation from 16% to 24%. On the contrary if the roster is permitted to operate till the total posts in a cadre are filled and thereafter the vacancies falling in the cadre are to be filled by the same category of persons whose retirement etc. caused the vacancies then the balance between the reserve category and the general category shall always be maintained. We make it clear that in the even of non-availability of a reserve candidate at the roster-point it would be open to the State Government to carry forward the point in a just and fair manner.

11. We, therefore, find considerable force in the second point raised by the learned Counsel for the petitioners. We, however, direct that the interpretation given by us to the working of the roster and our findings on this point shall be operative prospectively "

उक्त न्याय निर्णय सेवा नियमों में संशोधन संबंधी अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 से पूर्व का है एवं अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 द्वारा पदोन्नति संबंधी नियम बदल दिए गये है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 3609/2012 दीपा ई.वी. बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित निर्णय के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा पारित परिपत्र दिनांक 26.07.2017 की ओर ध्यान आकर्षित किया है। उक्त परिपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह भर्ती के संबंध में है और यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई आरक्षित श्रेणी का व्यक्ति अपनी मेरिट के आधार पर अनारक्षित व्यक्तियों से ऊपर चयनित होता है तो उसे अनारक्षित श्रेणी में गिना जायेगा, लेकिन आगे के सेवा मामलों में उसे आरक्षित श्रेणी में ही विचारित किया जायेगा।

निजी प्रत्यर्थीगण की तरफ से राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 2325/2013 सोहन लाल वर्मा एवं अन्य बनाम राजस्व मंडल, अजमेर एवं अन्य में पारित निर्णय की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया हैः–

"14. The criteria for promotion being seniority-cum-merit, in view of law noticed above, the respondents were/are required to consider the case of the petitioners against the posts meant for unreserved category consistent with the provisions of the Rules. As held by their Lordships of the Hon'ble Supreme Court in Indra Sawhney (supra) "reservations under Article 16(4) do not operate like a communal reservation. It may well happen that some members belonging to, say, Scheduled Castes get selected in the open competition filed on the basis of their own merit; they will not be counted against the quota reserved for Scheduled Castes; they will be treated as open competition candidates."

15. The Supreme Court in the case of R.K. Sabharwal (supra) reiterated the same proposition of law wherein it held that "the reserve category candidates can compete for the non-reserved posts and in the event of their appointment to the said posts their number cannot be added and taken into consideration for working out the percentage of reservation.

16. Critical analysis of the law referred so discussed would show the underlying philosophy of reservation made in favour of SC, ST and OBC with reference to Article 15(4) and 16(4) of the Constitution of India. These provisions confer certain benefits on the persons belonging to these categories which are not in substitution of any other right, which may be otherwise available to them as citizens of country. Benefit of reservation does not substitute or supplant any other right of a person

belonging to SC, ST and OBC. Such benefit would be in addition to an already existing right including the fundamental right of equality. If any scheme of reservation or the procedure evolved with a view to giving effect to such scheme, is made to depend upon the condition of truncating the fundamental or any other right of an individual, such scheme of reservation would be contrary to the constitutional provisions and the law, to the extent it curtails fundamental right or any other right of a person belonging to such category would be liable to be declared illegal. Reserving certain posts for different groups of the community in the first instance means that these posts are meant for members belonging to such specified group. This is an additional benefit conferred on them. On account of such additional benefit however they are not precluded from claiming ordinary benefits otherwise available to them. Members belonging to SC, ST and OBC for whom reservation of posts is made are not reserved for these posts although its converse is true. They cannot be asked to occupy only reserved posts. They would be free to occupy any posts including unserved posts. However, the requirement of law is that while claiming appointment against unserved posts they should prove their merit like any other citizen, who is not entitled to the benefit of reservation. No provision of law whether substantive or procedural, can be so interpreted as to run country to this basic tenet of the Constitution of India.

17. What are often described as general posts, to borrow the expression used by their Lordships in Indra Sawhney, were in fact "in the open competition filed." The Supreme Court referred them to "non-reserved posts". They can also be called as unreserved posts.

18. Examined in the light of the settled proposition of law as discussed above, it must be held that the respondents have misapplied the law of reservation. Petitioners had the right to be considered for promotion against unreserved posts. They cannot confine the right of the candidates of Scheduled Caste category of consideration for promotion on the basis of seniority-cum-merit only against the posts reserved for Scheduled Caste. Right to consideration for promotion cannot be denied to petitioners only because the vacancies meant for their category stood exhausted or that no vacancy in their category (SC) was available. Such a procedure negates their fundamental right to consideration as envisaged in Articles 14 and 16 of the Constitution of India.

19. Upshot of the above discussion is that action of the respondents in not considering candidature of the petitioners for promotion against the posts of unreserved category, is declared illegal and unconstitutional.

20. In the result, the writ petition is allowed. Respondents are directed to consider the case of the petitioners for promotion as per their seniority and if found suitable, the respondents to promote them immediately from the date their juniors were given promotion. Compliance be made within three months from the date a copy of this judgment is produced before the respondents.

21. This also disposes of stay application. "

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रकरण डी.बी. स्पेशल अपील याचिका संख्या 103/2018 धर्मेन्द्र कुमार मीना बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में दिनांक 07.08.2023 को निम्न आदेश पारित किया हैः–

"1. This present appeal has been filed on behalf of the appellant being aggrieved with the judgment dated 13.12.2017 passed in SB Civil Writ Petition No.19729/2017, whereby the writ petition filed by the petitioner has been dismissed.

2. The fact, which are not in dispute, are that the appellants are working as Patwari in the Revenue Department and they belong to Scheduled Tribe category. The grievances of the appellants is that they

were not promoted to the post of Inspector, Land Records only on account of the fact they belong to the Scheduled Tribe category.

3. Learned counsel for the appellants has submitted that the learned Single Judge has dismissed the writ petition filed by the petitioners while taking into consideration the notification dated 11.09.2011 of the Department of Personnel, Government of Rajasthan. It is further submitted that the learned Single Judge has dismissed the writ petition by misinterpreting the aforesaid notification. It is also submitted it appears that the learned Single Judge has passed the impugned order while treating that the appellants were earlier promoted and now they are seeking further promotion, whereas the fact remains that the appellants sought only first promotion on the higher post after being appointed as Patwari.

4. Learned counsel for the appellants has submitted that the controversy raised by the petitioners before the learned Single Judge was squarely covered by judgment dated 20.03.2015 passed by the Division Bench of this Court in DB Civil Special Appeal (Writ) No.1336/2011 (Satya Narain and Ors. vs. State of Rajasthan and Ors.) and other connected appeals.

5. Learned counsel for the appellants has also submitted that the Single Bench, Rajasthan High Court, Jodhpur has also taken a similar view in SB Civil Writ Petition Nos.11878/2015 and 14276/2013 decided on 09.01.2018 and 24.11.2020 respectively. 6. Learned counsel for the appellants, therefore, prayed that the instant appeal may kindly be allowed, the impugned order be set aside and the reliefs prayed for by the appellants may be granted.

7. Learned AAG appearing on behalf of the respondents has frankly admitted that the case of the appellants is to be considered in view of the subsequent notification issued by the Joint Secretary, Divisional Commissioner, Jaipur dated 18.10.2016 as the appellants have wrongly been denied promotion solely on the ground that they belong to the reserved category.

8. In view of the above, the instant appeal is allowed and the impugned order passed by the learned Single Judge dated 13.12.2017 is set aside.

9. The respondents are directed to consider the case of the appellants in the light of the communication dated 18.10.2016 passed by the Joint Secretary, Divisional Commissioner, Jaipur and hold a review DPC in consonance with the above communication within three months from the date of production of certified copy of this order and if the appellants are found entitled for promotion, they shall be granted all consequential benefits."

अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 यह व्यवस्था करती है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः 16 और 12 प्रतिशत समुचित प्रतिनिधित्व (Adequate representation) माना जायेगा और आरक्षित संवर्ग के पारिणामिक वरिष्ठता प्राप्त कर्मचारियों को तब तक आरक्षित पदों के विरूद्ध पदोन्नति पारिणामिक वरिष्ठता के आधार पर दी जायेगी, जब तक की रोस्टर पाईंट उपलब्ध है। इसका आशय यह है कि यदि आरक्षित वर्ग हेतु पदोन्नति पदों के लिए रोस्टर बिंदु उपलब्ध नहीं है या भर गये है, तो उस दशा में आरक्षित वर्ग के वे कर्मचारी जो पारिणामिक वरिष्ठता के आधार पर वरिष्ठ है, उनको अनारक्षित पदों पर पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया जायेगा। लेकिन यह अधिसूचना सेवा में प्रवेश के समय की मूल वरिष्ठता के संबंध में कोई कथन नहीं करती है। यदि आरक्षित वर्ग का कर्मचारी सेवा में प्रवेश की वरिष्ठता सूची में मूल वरिष्ठ है और पदोन्नति हेतु आरक्षित वर्ग के लिए निर्धारित अभ्यांश पूर्ण

हो चुका हो और मूल वरिष्ठता सूची में उससे कनिष्ठ अनारक्षित वर्ग के कर्मचारी के संबंध में पदोन्नति हेतु विचार किया जाता है, तो उस दशा में सेवा में प्रवेश की वरिष्ठता में ऐसे अनारक्षित वर्ग के कर्मचारी से वरिष्ठ आरक्षित वर्ग के कर्मचारी को पदोन्नति हेतु नजरअंदाज नहीं किया जायेगा और वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर पदोन्नति की दशा में ऐसे आरक्षित वर्ग के कर्मचारी को अनारक्षित वर्ग के पद के विरूद्ध पदोन्नति पर विचार किया जायेगा। आरक्षण एक सुरक्षात्मक उपाय है, जो एक नागरीक के सामान्य रूप से उपलब्ध अधिकारों के अतिरिक्त है। आरक्षण को नकारात्मक रूप में नहीं लिया जा सकता है। अतः हमारा मत है कि कार्मिक विभाग की राय दिनांक 13.09.2013 अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 के विरोधाभासी नहीं है। अतः यदि पदोन्नति हेतु आरक्षित वर्ग हेतु निर्धारित अभ्यांश पूर्ण हो गया हो और आरक्षित वर्ग का कोई कर्मचारी सेवा में प्रवेश की वरिष्ठता में ऐसे अनारक्षित वर्ग के कार्मिक से मूल वरिष्ठता में वरिष्ठ है, जिसकी पदोन्नति हेतु विचार किया जा रहा है, तो वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर पदोन्नति की दशा में उससे पहले आरक्षित वर्ग के सेवा में प्रवेश के समय वरिष्ठ कर्मचारी को पदोन्नति हेतु विचार किया जावेगा एवं उसकी मूल वरिष्ठता को नजर अंदाज नहीं किया जायेगा।

इस अपील में निजी प्रत्यर्थी संख्या 7 से 13 सीधी भर्ती से राजस्थान लेखा सेवा में वर्ष 2019 में नियुक्त हुये हैं और अपीलार्थीगण वर्ष 2021–22 में राजस्थान लेखा सेवा में पदोन्नत हुये हैं। स्पष्ट है कि निजी प्रत्यर्थीगण 7 से 13 राज्य लेखा सेवा में प्रवेश की मूल वरिष्ठता में अपीलार्थीगण से वरिष्ठ हैं। लेखाधिकारी से वरिष्ठ लेखाधिकारी की पदोन्नति वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर होती है। अतः यदि वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद हेतु वर्ष 2024–25 में अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु निर्धारित अभ्यांश पूर्ण हो जाता है तो भी इन्हें इनकी मूल वरिष्ठता के आधार पर अनारक्षित पदों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु उस दशा में विचार किया जायेगा, यदि इनसे मूल वरिष्ठता के कनिष्ठ अनारक्षित कार्मिक की पदोन्नति वर्ष 2024–25 की रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठ लेखाअधिकारी के पदों पर विचार किया जाता है एवं पदोन्नति दी जाती है।

<u>बिन्दु संख्या 2</u> :– क्या सेवा में आरक्षण के आधार पर पारिणामिक वरिष्ठता धारित करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के कार्मिकों को अनारक्षित पदों पर पदोन्नति हेतु विचार किया जा सकता है, जबकि अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु निर्धारित अभ्यांश पूर्ण हो गया है?

इस संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 एवं कार्मिक विभाग द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग को दिए गये परामर्श दिनांक 13.09.2013 में यह स्पष्ट है कि यदि आरक्षित वर्ग के किसी लोकसेवक ने अपने पूर्ण सेवाकाल में किसी भी स्तर पर आरक्षण के आधार पर पारिणाामिक वरिष्ठता का लाभ लिया है एवं पदोन्नति प्राप्त कर ली है तो उस दशा में उसे आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति हेतु 16 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति हेतु 12 प्रतिशत के अनुपात में पद

रिक्त होने पर भी पदोन्नति प्रदान की जायेगी एवं अनारक्षित पदों के विरूद्ध पारिणामिक वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया जायेगा। चूंकि अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि पारिणामिक वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति का लाभ तब तक ही देय है, जब तक रोस्टर पाईन्ट उपलब्ध है। अगर पदोन्नति हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु निर्धारित अभ्यांश पूर्ण हो चुका है तो ऐसे किसी लोक सेवक को अनारक्षित पदों के विरूद्ध उसकी पारिणामिक वरिष्ठता के आधार पर विचार नहीं किया जायेगा। भले ही वह पारिणामिक वरिष्ठता के आधार पर वरिष्ठता सूची में ऊपर स्थान रखता हो। अतः स्पष्ट है कि पारिणामिक वरिष्ठता धारित करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के कार्मिकों को पदोन्नति हेतु सम्बन्धित वर्ग हेतु निर्धारित अभ्यांश पूर्ण होने की दशा में अनारक्षित पदों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया जायेगा। भले ही पारिणामिक वरिष्ठता के आधार पर वरिष्ठता सूची में उनका नाम ऊपर हो। कार्मिक विभाग की राय संख्या एफ 21(2) डीओपी/ए–2/2023 (305)/10908 राजस्थान लोक सेवा आयोग को प्रेषित राय दिनांक 13.09.2013 के अनुरूप है।

उक्त विवेचन के आधार पर वर्ष 2024–25 में वरिष्ठ लेखाधिकारी के कुल रिक्त 50 पदों में अनुसूचित जाति हेतु 10 एवं अनुसूचित जनजाति हेतु 02 पद उपलब्ध है। निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 एवं 6 की वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु वर्ष 2023–24 की रिक्तियों के विरूद्ध विचार किया जाकर अपूर्ण रिकॉर्ड के आधार पर पद रिक्त रखे जाकर प्रकरण आस्थगित (डेफर) रखा गया है। अतः वह वर्ष 2024–25 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु उपलब्ध नहीं है। निजी प्रत्यर्थी संख्या 7 से 13 सीधी भर्ती से राजस्थान लेखा सेवा में वर्ष 2019 में नियुक्त हुए है एवं वरिष्ठता सूची में उनकी सेवा के प्रवेश की मूल वरिष्ठता होने से वर्ष 2024–25 के वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद पर मूल वरिष्ठता के आधार पर अनारक्षित पदों के विरूद्ध पदोन्नति के पात्र होंगे, यदि इनके लिए सम्बन्धित वर्ग में पदोन्नति का निर्धारित अभ्यांश पूर्ण हो गया है एवं आरक्षित पद उपलब्ध नहीं हो एवं सेवा में प्रवेश की वरिष्ठता सूची में इनसे कनिष्ठ अनारक्षित वर्ग के कार्मिक की वर्ष 2024–25 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु विचार किया जाकर पदोन्नति प्रदान की जा रही हो। तदनुसार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार पदोन्नति की कार्यवाही सम्पादित की जाना सम्यक होगा।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि वर्ष 2024–25 की वरिष्ठ लेखाधिकारी की रिक्तियों के संबंध में अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 एवं कार्मिक विभाग की राय दिनांक 13.09.2013 के दृष्टिगत उक्त विवेचनानुसार पदोन्नति की कार्यवाही संपादित की जावें। अपील उक्तानुसार निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवडा)
सदस्य